

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक.....29/09/2026

संचिका संख्या-03/आ01-39/2021.1/5107.65/ मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना अन्तर्गत पूर्व के वर्षों यथा 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 आदि से संबंधित बकाया राशि का माँग पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने जैसे कतिपय आरोप लगाते हुये श्री साकेत रंजन, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (योजना एवं लेखा), शेखपुरा सम्प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ के विरुद्ध क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया।

2. श्री रंजन के विरुद्ध गठित आरोप पत्र पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 17/19 के तहत उनसे लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

3. श्री रंजन द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन के उत्तर प्रतिवेदन पर क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर द्वारा पत्रांक-198 दिनांक-06.04.2026 के माध्यम से असहमति व्यक्त करते हुये श्री रंजन पर लगाये गये आरोप तथ्य पूरक परिलक्षित हो रहे का मंतव्य दिया गया है। सक्षम प्राधिकार के स्तर पर मामले की समीक्षोपरांत श्री रंजन के लिखित अभिकथन को अस्वीकृत करते हुए आरोपों का वृहत जाँच कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. अतः श्री साकेत रंजन, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (योजना एवं लेखा), शेखपुरा सम्प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ के विरुद्ध आरोपों के वृहत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्रवाई संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसमें श्री शाहजहां, संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग को संचालन पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. संचालन पदाधिकारी निर्धारित तीन माह के अंदर विहित प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई सम्पन्न कर विहित प्रपत्र में अपना जाँच प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

6. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि संकल्प अनुबंध, आरोप पत्र एवं साक्ष्य तालिका की प्रति संचालन पदाधिकारी/उपस्थापन पदाधिकारी तथा आरोपी पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(विजय कुमार पाण्डेय)

निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक:-3/आ01-39/2021.1/5107.65/ पटना, दिनांक.....29/09/2026

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी (वै.दा.नि.को.), वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/श्री शाहजहां, संयुक्त सचिव,

शिक्षा विभाग-सह-संचालन पदाधिकारी/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर
-सह-उपस्थापन पदाधिकारी/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना/प्रशाखा
पदाधिकारी, प्रशाखा-02 एवं श्री साकेत रंजन, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
(योजना एवं लेखा), शेखपुरा सम्प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी, कैमूर, भभूआ को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by

Vijay Kumar Pandey

Date: 29-09-2026 15:32:50

निदेशक (प्रशासन)